

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 36/अ-82/16-17/मुलताई /10898

बैतूल दिनांक 1-10-2019

//घोषणा//

चूंकि,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची- 1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	मुलताई	0.791	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची-2

(प्रभावति धारकों की सूची)

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे०में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	भन्नू व० छूर्री, फत्तू व० भभूत्या, फकीरचंद, चित्तू व० कोल्हू, मुन्नी पिता कोल्हू सा० परमंडल	239/1 239/3	0.065 0.648	0.030 0.074
2	मुन्नी पिता कोल्हू निवासी परमंडल	239/2	0.282	0.062
3	भैयालाल, हरिदास, चेतन व० ओझा, किरण, गीता, सरोज, सुनिता पिता ओझा, गजराबाई बेवा ओझा जाति मेहरा सा० देह	241	1.143	0.074
4	महादेव, शिवदास व० लक्ष्मण, सहमद बेवा लक्ष्मण, गणेश, मुकेश, व० शंकर, इमरती बेवा शंकर मेहकार	242	2.287	0.063
5	बंशीलाल व० जाधो सा० परमंडल	243/5	1.283	0.022
6	राजेश कुमार, अशोक कुमार व० गेंदलाल, ज्योति पिता गेंदलाल जाति पंवार सा० देह	244/2	0.397	0.033
7	मालतीबाई बेवा बिहारीलाल, सुरेश, दिनेश व० बिहारीलाल, निर्मलाबाई पति सुखराम पिता बिहारीलाल सा० देह	245/1	0.294	0.116

8	कमलेश व0 हीराजी, दुलारी, संगीता, पिता हीराजी कम लना बा व0 हीराजी बली मां सुधा, सुधा बेवा हीराजी जाति पंवार सा देह	245/2	0.320	0.103
9	हीराबाई बेवा सावन्त्या, गणेश व0 सावन्त्या, शकुन्तला पिता सावन्त्या जाति पंवार सा0 देह	245/3	0.305	0.080
10	शांती जौजे बाबूलाल सा0 देह	246	0.801	0.053
11	लूथा जौजे नत्थू, माधो व0 टुकड्या लालजी व0 कन्हैया, सोनाय बेवा कन्हैया, भूरसी जौजे रामचन्द्र सा0 परमंडल	273	0.049	0.027
12	श्री रामचन्द्र जी मंदिर	356	0.040	0.040
13	तारेश कुमार वल्द मुन्नालाल ना.बा. अनिता पिता मुन्नालाल, वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल सुशीला जौजे इन्द्रपाल भिक्या वल्द मिट्टू सरस्वती जौजे बाजेराव, हेमलता जौजे लक्ष्मी नारायण विजय कुमार प्रशांत कुमार वल्द राधाकृष्ण टुकडदास रमेश, गणेश, मनोहर, दीनू वल्द सोजर सरस्वती सुखवती पिता सोजर सुबेबाई जौजे अर्जुन नान्हु वल्द राम सा.देह	355/1	2.027	0.014
योग:-			9.941	0.791

2- चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



*(Handwritten signature)*  
(तेजस्वी एस0 नायक)  
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 36/अ-82/16-17/मुलताई / 10898

बैतूल दिनांक 1-10-2019  
09.2019

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।
- 3- उप मुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा0) को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रेषित।
- ✓ 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्था करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्था करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल/ ग्राम पंचायत में चस्था करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

  
अपर कलेक्टर एवं

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन बैतूल

